सं0- 10/नर्सिंग-10-33/2018...134(10)...

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

दिनांक-..30/05/2023

विषयः- राज्यांतर्गत नर्सिंग पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु संस्थानों को अनापत्ति प्रदान करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने के संबंध में।

राज्यांतर्गत विभिन्न नर्सिंग पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु भारतीय उपचर्या परिषद् के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की अनिवार्यता है।

2. अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाना है-

2.1 संगठन/संस्थान, जो नर्सिंग संस्थान खोलने के लिए पात्र होंगे-

2.1.1 केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय;

2.1.2 पंजीकृत निजी या सार्वजनिक ट्रस्ट;

2.1.3 मिशनरी संगठनों सहित सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थान;

2.1.4 कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत निगमित कंपनियां।

2.2 नर्सिंग संस्थान के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना

2.2.1 संस्था, समिति या ट्रस्ट के पास ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 02 (दो) एकड़ भूखण्ड तथा नगर निगम, नगर पंचायत तथा नगर परिषद् क्षेत्र में कम से कम 01 (एक) एकड़ भूखण्ड होना अनिवार्य है।

2.2.2 भारतीय उपचर्या परिषद् (Indian Nursing Council) के दिशा-निर्देश के अनुसार संस्थान का भवन छात्रावास, शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मी अनिवार्य है।

2.3 नर्सिंग संस्थान के लिए आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं

2.3.1 संस्थान के जी.एन.एम., स्नातक एवं उच्चतर स्तर के नर्सिंग पाठ्यक्रम के प्रशिक्षु परिचारिकाओं के व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु आवेदक संस्था, समिति या ट्रस्ट का स्वयं का मूल अस्पताल होना अनिवार्य है, किन्तु जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्र के संबंध में मूल अस्पताल की आवश्यकता को निम्नवर्णित छूट दी गयी है:

2.3.1.1 जनजातीय क्षेत्र – अनुसूचित अधिसूचित क्षेत्र (भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कर अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये गए हो सकते हैं);

2.3.1.2 पहाड़ी क्षेत्र – जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड।

2.3.2 मूल अस्पताल से तात्पर्य है कि संस्था, समिति या ट्रस्ट के स्वामित्व तथा नियंत्रण वाला अस्पताल या संस्था, समिति या ट्रस्ट के किसी ट्रस्टी/सदस्य/निदेशक द्वारा प्रबंधित तथा नियंत्रित अस्पताल।

यदि अस्पताल का स्वामी ट्रस्ट/समिति/कंपनी का ट्रस्टी/सदस्य/निदेशक है, तो अस्पताल नर्सिंग संस्थान के संचालन तक 'मूल अस्पताल' के रूप में कार्य करता रहेगा।

2.3.3 ट्रस्ट/समिति/कंपनी के ट्रस्टी/सदस्य/निदेशक को ट्रस्ट/समिति/कंपनी के सभी ट्रस्टियों/सदस्यों/निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का वचनपत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि ट्रस्ट/समिति/कंपनी का ट्रस्टी/सदस्य/निदेशक अस्पताल को किसी अन्य नर्सिंग संस्थान के 'मूल/संबद्ध अस्पताल' की मान्यता के लिए अनुमति नहीं देगा और यह वचनपत्र कम से कम 30 वर्ष के लिए वैध होगा।

2.3.4 मूल अस्पताल की सभी शैय्या एक ही अस्पताल में अर्थात एक ही भवन/एक ही परिसर में होंगे। इसके अलावा, मूल अस्पताल उसी राज्य के उसी जिले अथवा उससे सटे (adjacent) जिले में होगा, जहां संस्थान स्थित है।

2.3.5 ए0एन0एम0 कोर्स के लिए न्यूनतम 30 एवं अधिकतम 50 शय्या वाले अस्पताल से संबद्धता प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, राज्य के द्वितीय श्रेणी के अस्पताल से संबद्धता प्राप्त की जा सकती है।

2.3.6 जी0एन0एम0 एवं उच्चतर स्नातक स्तरीय कोर्स के लिए भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरुप न्यूनतम 100 शय्या का मूल अस्पताल होना अनिवार्य है।

भारतीय उपचर्या परिषद् के प्रावधानों के अनुरूप संख्या में शय्याओं की कमी होने की स्थिति में न्यूनतम 50 शय्या के अधिकतम तीन अस्पतालों के साथ संबद्धता प्राप्त करते हुए इन प्रावधानों के अनुरूप ब्यूनतम शय्याओं की व्यवस्था की जा सकती है।

134(10)
30/05/2023

2.3.7 स्नातकोत्तर स्तरीय कोर्स के लिए भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप संबंधित प्रकृति के सुपात्र अस्पताल के साथ संबद्धता अनिवार्यतः होनी चाहिए।

यह व्यवस्था मात्र ऐसे नर्सिंग संस्थान हेतु उपलब्ध होगी जिसके द्वारा स्नातक स्तरीय नर्सिंग कोर्स (B.Sc. Nursing Course) का कम से कम एक सत्र सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया हो।

2.3.8 उपर्युक्त वर्णित शय्या के अंतर्गत औषधि, शल्य, स्त्री एवं प्रसव रोग, शिशु रोग, नाक, कान एवं गला, नेत्र, अस्थि रोग, चर्म एवं यौन रोग, मनोचिकित्सा एवं पैथोलॉजी सुविधाओं की अपेक्षा की जाती है।

2.3.9 संबद्ध अस्पताल और संस्थान के बीच की दूरी 30 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में अधिकतम दूरी 50 किलोमीटर तक हो सकती है। अस्पताल में 1:3 छात्र रोगी अनुपात बनाए रखा जाएगा।

इस क्रम में प्रशिक्षणार्थियों के संस्थान से अस्पताल के बीच आवागमन हेतु समुचित क्षमता के वाहन की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

2.3.10 राज्य सरकार के अधीन संचालित अस्पतालों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों से निजी क्षेत्र के नर्सिंग संस्थानों को संबद्धता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी। इसके लिए किसी अन्य स्तर यथा संबधित जिला के सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक/संबंधित संस्थान के प्राचार्य/ अधीक्षक के द्वारा निर्गत आदेश/एम.ओ.यू आदि मान्य नहीं होगा।

पूर्व से निर्गत एतद् संबंधी आदेश/एम.ओ.यू. के संदर्भ में पुनः राज्य सरकार से पुष्टिस्वरूप सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

3. समर्पित किए जा रहे आवेदन के साथ निम्नलिखित सूचनाएँ/दस्तावेज संलग्न किया जाना अनिवार्य होगाः

3.1 संस्था, ट्रस्ट या समिति के निबंधन संबंधी अभिलेख की छायाप्रति;

3.2 भूमि के स्वामित्व के रूप में भूमि के क्रय संबंधी अभिलेख, नामांतरण अभिलेख, करेक्शन स्लिप एवं भू-लगान रसीद की छायाप्रति;

134(10)
30/05/2023

3.3 प्रसंगाधीन संस्थान की उक्त क्षेत्र में भौगोलिक अवस्थिति, जिसमें सम्पर्क पथ, नदी-नालों, पहाड़ी एवं अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं को दर्शाया गया है;

3.4 उक्त संस्थान के भू-खण्ड का नक्शा, जिसमें संस्थान के विभिन्न भवनों को दर्शाया गया हो;

3.5 संस्थान के प्रत्येक भवन के प्रत्येक तल की Drawing की विवरणी, जिसमें Architect की विवरणी भी अंकित हो। इस क्रम में प्रशासनिक भवन में अवस्थित विभिन्न सुविधाओं, यया-व्याख्यान कक्ष, शौचालय, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्टॉफ रूम, प्राचार्य कक्ष इत्यादि दर्शाया जाना अपेक्षित है;

3.6 प्रत्येक भवन के निम्नवर्णित फोटोग्राफ संलग्न करने होंगे;

3.6.1 प्रत्येक भवन के चारों ओर से लिए गए फोटोग्राफ, जिसमें पूरे भवन का चित्र स्पष्ट रहे।

3.6.2 प्रयोगशाला का फोटोग्राफ

3.6.3 पुस्तकालय का फोटोग्राफ

3.6.4 प्राचार्य कक्ष का फोटोग्राफ

3.6.5 मशीन रूम का फोटोग्राफ

3.6.6 छात्रावास के रूम/डार्मिटरी का फोटोग्राफ

3.6.7 कॉमन रूम का फोटोग्राफ

3.6.8 डाइनिंग रूम का फोटोग्राफ

3.6.9 रसोईघर का फोटोग्राफ

3.6.10 इस क्रम में पूरे कैम्पस का एक वीडियो भी समर्पित करना होगा, जिसमें शैक्षणिक भवन, प्रशासनिक भवन एवं अत्रावास का अंदर एवं बाहर का वीडियो सम्मिलित हो।

3.6.11 उक्त संस्थान की GEO Tagging करते हुए अक्षांश एवं देशांतर दर्शाया जाएगा।

3.6.12 उक्त संस्थान के मूल अस्पताल एवं संबद्ध अस्पताल की GEO Tagging करते हुए अक्षांश एवं देशांतर दर्शाया जाएगा।

3.6.13 आवेदनकर्ता के द्वारा उपर्युक्त आशय का एक शपथ पत्र भी समर्पित किया जाएगा, जिसमें समर्पित आवेदन में वर्णित तथ्यों की सत्यता प्रमाणित किए जाने का वर्णन किया गया हो।

3.7 मूल अस्पताल की उपलब्धता के साक्ष्य तथा संबद्ध अस्पताल के साथ किये गए MOU की छायाप्रति तथा राज्य के सरकारी अस्पतालों की संबद्धता संबंधी आदेश की प्रति।

134(10)
30/05/2023

3.8 संस्था/समिति/ट्रस्ट का विगत तीन वर्षो का आय व्यय से संबंधित चार्टेड एकाउंटेंट द्वारा निर्गत अंकेक्षण प्रतिवेदन।

3.9 संस्था/समिति/ट्रस्ट का विगत तीन वर्षो का क्रिया-कलाप से संबंधित प्रतिवेदन।

3.10 संस्था/समिति/ट्रस्ट द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तावित भूखण्ड एवं भवन में किसी अन्य प्रकार के संस्थान के संचालन नहीं करने संबंधी शपथ पत्र दिया जायेगा।

3.11 संस्था/समिति/ट्रस्ट द्वारा आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक संकाय की सूची के साथ इस आशय का शपथ पत्र दिया जायेगा कि उक्त कर्मी अन्य किसी संस्थान में संलग्न या कार्यरत नहीं है। कार्यरत पाये जाने की स्थिति में ऐसे संस्था/समिति/ट्रस्ट के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

3.12 संस्था/समिति/ट्रस्ट द्वारा इस आशय का भी शपथ पत्र दिया जायेगा कि बिना राज्य सरकार की अनापत्ति एवं झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद् अथवा संबंधित विश्वविद्यालय से मान्यता/संबद्धता प्राप्त किये नामांकन नहीं किया जायेगा। किसी भी संस्थान द्वारा किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार/परिषद् द्वारा स्वीकृत सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जायेगा।

3.13 आवेदन पत्र के साथ बैंक गारंटी, जो सदैव वैद्य रहनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रू 1.00 लाख एवं शहरी क्षेत्रों के लिए रू 2.00 लाख की बैंक गारंटी देना अनिवार्य है।

3.14 किसी भी संस्थान द्वारा समर्पित अभिलेख, सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार के दिशा-निर्देश के प्रतिकूल कृत्य के प्रमाणित होने पर उक्त बैंक गारंटी की राशि जब्त कर ली जायेगी।

3.15 आवेदन पत्र के साथ शुल्क के रूप में रू 10,000/- प्रति कोर्स जमा किया जायेगा।

4. राज्यांतर्गत नर्सिंग स्कूल एवं कॉलेज प्रांरभ करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा:

4.1 राज्यांतर्गत नर्सिंग स्कूल एवं कॉलेज प्रारंभ करने हेतु आवेदन Online/Offline माध्यम से सभी वांछनीय कागजातों एवं विहित शुल्क के साथ झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद् में जमा किये जायेंगे।

4.2 झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद् द्वारा प्राप्त आवेदनों की इस प्रयोजन हेतु संधारित चेक स्लिप के आधार पर प्रारंभिक समीक्षा करते हुए अपूर्ण आवेदनों को संबंधित आवेदक को त्रुटि अंकित करते हुए अधिकतम एक सप्ताह के भीतर वापस कर दिया जाएगा।

134(10)
30/05/2023

4.3 प्रारंभिक समीक्षा के उपरांत प्राप्त त्रुटि रहित आवेदनों के स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदनों को Online/Offline आवेदन प्राप्ति के अधिकतम 15 दिनों के भीतर जिला स्तरीय जाँच समिति को प्रेषित कर दिया जाएगा।

4.4 झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद् को प्राप्त आवेदनों के आधार पर संस्थानों के भौतिक निरीक्षण हेतु निम्नरूपेण जिला स्तरीय जाँच समिति का गठन किया जाता है-

(1) सिविल सर्जन, अध्यक्ष

(2) अपर समाहर्त्ता सदस्य

(3) कार्यपालक अभियंता (भवन निर्माण विभाग) सदस्य

(4) निबंधक-सह-सचिव, झारखण्ड परिवारिका निबंधन परिषद् सदस्य-सचिव

उक्त समिति के द्वारा निम्न वर्णित बिन्दुओं पर जाँच करते हुए प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगाः

4.4.1 नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए भारतीय उपचर्या परिषद् के मानकों के अनुरूप आवश्यक व्यवस्था, उपकरण, मानव संसाधन की उपलब्धता।

4.4.2 प्रस्तावित नर्सिंग संस्थान हेतु संस्था/समिति/ट्रस्ट के पास निर्धारित मानक के अनुरूप भूखण्ड की उपलब्धता की विधिवत जाँच।

4.4.3 भूमि स्वामित्व के रूप में भूमि क्रय से संबंधित अभिलेख, नामांतरण अभिलेख, करेक्शन रिलप एवं भू लगान रसीद की जाँच।

4.4.4 भारतीय उपचर्या परिषद् के दिशा-निर्देश के अनुसार आधारभूत संरचना, यथा-संस्थान का भवन, कार्यालय, प्राचार्य एवं स्टाफ के आवासीय भवन, प्रयोगशाला की उपलब्धता एवं कुल निर्मित क्षेत्र की जाँच।

4.4.5 अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु अन्य सभी वांछित कागजातों की जाँच।

4.4.6 भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर नर्सिंग पाठ्यक्रम के अनुरूप स्वसंचालित अस्पताल एवं संबद्धता प्राप्त अस्पताल एवं अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों की जाँच।

4.4.7 संबद्धता प्रदान करने वाले अस्पतालों के संबंध में इस बिन्दु की भी जाँच की जायेगी कि पूर्व में कितने निजी क्षेत्र के नर्सिंग संस्थानों को संबद्ध किया गया है तथा उक्त संस्थानों के स्वीकृत सीटों की संख्या कितनी है। भारतीय उपचर्या परिषद् के प्रावधानों के तहत एक से अधिक नर्सिंग संस्थानों को संबद्धता प्रदान करने हेतु आवश्यक आधारभूत संरचनाएं, चिकित्सीय सुविधाएं, शय्याओं की संख्या, मरीज एवं शय्या का अनुपात, प्रशिक्षण हेतु चिकित्सक एवं कर्मी उपलब्ध हैं अथवा नहीं।

134(10)
30/05/2023

4.5 झारखण्ड परिवारिका निबंधन परिषद् द्वारा उपरोक्त समिति को निरीक्षण हेतु अनुसूची में वर्णित पाठ्यक्रम वार स्पष्ट चेक स्लिप भेजी जाएगी, जिसके आधार पर समिति द्वारा जाँच कार्य करते हुए प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

4.6 जिला स्तरीय समिति के द्वारा आवेदन में वर्णित समस्त तथ्यों की जाँच करते हुए अधिकतम 30 दिनों के भीतर अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ जाँच प्रतिवेदन निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ को प्रेषित कर दिया जाएगा तथा अनुशंसा व जाँच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद् को भी भेजी जाएगी।

उक्त प्रतिवेदन के साथ सम्पूर्ण चेक स्लिप में निहित तथ्य अंकित रहेंगे। पाठ्यक्रम वार चेक स्लिप अनुसूची- I, II, III एवं IV के रूप में संलग्न है।

4.7 निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ की अध्यक्षता में निम्न वर्णित समिति के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदनों की प्राप्ति के 60 दिनों की अवधि के भीतर परीक्षण एवं आकलन करते हुए अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ विभागीय निष्पादन समिति के समक्ष उपस्थापन हेतु प्रेषित किया जाएगाः

(1) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ	अध्यक्ष
(2) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा नामित उपनिदेशक से अन्यून पदाधिकारी	सदस्य
(3) निबंधक, झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद्	सदस्य-सचिव

4.8 राज्य स्तरीय परीक्षण समिति के द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत स्थापित विभागीय निष्पादन समिति के द्वारा प्राप्त आवेदनों पर समुचित निर्णय लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

4.9 आवेदनों के निष्पादन हेतु विभागीय निष्पादन समिति का गठन निम्नरुपेण किया जाता है-

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	अध्यक्ष
(2) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ	सदस्य
(3) निदेशक, रिम्स, राँची	सदस्य
(4) प्रभारी संयुक्त सचिव/उप सचिव, नर्सिंग प्रशाखा	सदस्य-सचिव
(5) निबंधक, झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद्	सदस्य

134(10)
30/05/2023

4.10 विभागीय निष्पादन समिति के स्तर से समीक्षोपरांत अनापत्ति निर्गत करने हेतु की गई अनुशंसा पर विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त करते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की कार्रवाई की जाएगी।

4.11 अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही परीक्षा प्राधिकार द्वारा Consent of Affiliation निर्गत किया जाएगा। तत्पश्चात् संबंधित नर्सिंग संस्थान द्वारा नामांकन की कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी। सभी संस्थानों द्वारा उक्त Consent of Affiliation प्रतिवर्ष प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

5. निरसन एवं व्यावृति-

5.1 नर्सिंग संस्थानों को अनापत्ति देने के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में समय-समय पर निर्गत संकल्प ज्ञापांक-27(12) दिनांक-05.06.2006, ज्ञापांक-259(7ए) दिनांक-15.07.2008 ज्ञापांक-185(10) दिनांक-25.06.2018, ज्ञापांक-58(10) दिनांक-06.02.2019 एवं आदेश ज्ञापांक-73(10) दिनांक-13.03.2019 को एतद् द्वारा संकल्प निर्गत की तिथि से निरसित किये जाते हैं।

5.2 ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त आदेश/अधिसूचना/संकल्प/आदि के अधीन किया गया कुछ भी कार्य या की गयी कोई भी कार्रवाई इस संकल्प द्वारा किया गया या की गयी समझी जायेगी, जैसे कि यह संकल्प उस तिथि को प्रवृत्त था, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

5.3 संकल्प निर्गत की तिथि के उपरांत पूर्व में अनापत्ति प्राप्त सभी संस्थानों का पुनः निरीक्षण झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद् द्वारा इस संकल्प के दिशा-निर्देशों एवं जाँच प्रपत्रों के अनुरूप किया जायेगा तथा किसी भी स्तर पर किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर उक्त कमियों को पूर्ण करने हेतु अधिकतम 6 माह का समय दिया जा सकेगा।

निर्धारित समय-सीमा के अधीन कमियों को पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में संस्था/समिति/ट्रस्ट को उचित अवसर प्रदान करते हुए संबंधित नर्सिंग संस्थान को निर्गत अनापत्ति/मान्यता पर विधिसम्मत निर्णय लिया जायेगा।

5.4 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार इस संकल्प में परिवर्तन/संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

5.5 भारतीय उपचर्या परिषद् (Indian Nursing Council) द्वारा उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश एवं उनमें किये जाने वाले संशोधन, जो इस संकल्प में शामिल नहीं किये जा सके हैं, सभी संस्थानों के लिए स्वतः प्रभावी होंगे।

134 (10)
30/05/2023

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक- 134(10)

दिनांक- 30/05/2023

प्रतिलिपिः- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विशेष सचिव/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक- 134(10)

दिनांक- 30/05/2023

प्रतिलिपिः- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं/निदेशक, रिम्स, राँची/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक/सभी सिविल सर्जन/सभी अपर समाहर्ता/सभी कार्यपालक अभियंता (भवन निर्माण प्रमंडल)/ निबंधक-सह-सचिव, झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद्, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव